क्रम-संख्या–90

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016
चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

(विधायी अनुभाग–1)

संख्या 586 / 79–वि–1–16–1(क)10.2016
लखनऊ, 7 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, पर दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] ,

अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में षोध और विकास तथा उद्भवन पर संकेद्रित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय कानपुर के रूप में पुनर्गठित कर उसे एक अग्रणी आवासीय विष्वविद्यालय एवं उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने, उच्च षिक्षा के उदीयमान क्षेत्रों में अध्ययन, षोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत षिक्षा कार्यक्रम तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से कौशल विकास को अग्रसर करने एवं उच्च

षिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी द्वारा संचालित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है, जो डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूंकि उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में, अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्धन विज्ञान, उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग, सुसंगत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने हेतु बेहतर कार्यक्षेत्र तथा अवसर का लाभ उठाया जा सके।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा
नियुक्त करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(1) ''विद्या परिषद'' और ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद और कार्यकारी परिषद् से है;

(2) ''अनुबद्ध आचार्य'', ''अनुबद्ध सह आचार्य'' तथा ''अनुबद्ध सहायक आचार्य'' का तात्पर्य शैक्षिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र के किसी व्यक्ति से है, जो विश्वविद्यालय के साथ सहयोग या सहयोजन की अवधि के दौरान इस प्रकार नामनिर्दिष्ट हो;

(3) ''प्राधिकारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्राधिकारी से है;

(4) ''परिषद्'' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52, सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(5) ''बोर्ड'' का तात्पर्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड से है;

(6) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'', ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति से है;

(7) ''सहयोग'' का तात्पर्य अन्य विश्वविद्यालयों,शैक्षिक संस्थाओं,शोध संस्थाओं (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय) और संगठनों (शोध,

उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि) के साथ विश्वविद्यालय के सहयोगपूर्ण शैक्षिक गतिविधि से है;

(8) ''सतत शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र'' का तात्पर्य कौशल विकास और ज्ञान उद्भवन को अग्रसर करने के लिए सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है;

(9) ''विभाग'' का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय या विषय समूह के अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय के किसी विभाग से है;

(10) ''शुल्क'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से प्रभारित और संगृहीत की जाने वाली शुल्क, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय, से है;

(11) ''हाल'' एवं ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त छात्रों के निवास के किसी इकाई से है;

(12) ''भूतपूर्व संस्थान'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के प्रारम्भ से पूर्व यथा विद्यमान समस्त आस्तियों, कर्मचारिवृन्द, कर्मचारियों सेवा नियमावली आदि के साथ वर्तमान हरकोर्ट बटलर प्रोद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी के अधीन हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से है;

(13) ''उद्भवन हब'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्भवन को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित नवाचार और उद्भवन से है;

(14) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(15) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(16) ''विद्यालयों, केन्द्रों और इकाईयों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत क्षेत्रों में अध्यापन,शोध नवाचार, उद्भवन और प्रशिक्षण में लगे ज्ञान संबंधी विद्यालयों, केन्द्रों और इकाइयों के रूप में अभिनियोजित शैक्षिक सत्ता से है;

(17) ''कौशल विकास केन्द्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कौशल विकास केन्द्र से है;

(18) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' और ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश, और विनियम से है;

(19) ''छात्र परिषद्'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित छात्र परिषद से है;

(20) ''अध्यापक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में कार्यरत आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य से है;

(21) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-2

विश्वविद्यालय

3-(1) विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, कार्यकारी परिषद, विद्या परिषद के सदस्य और इस रूप में पद धारण करने वाले अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से गठित किया जाता है; विश्वविद्यालय का निगमन

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;

(3) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को किया गया कोई संदर्भ, विश्वविद्यालय को किये गये संदर्भ के रूप में बना रहेगा;

(4) हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से संबंधित समस्त चल या अचल सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा सोसायटी से अधिगृहीत कर ली जाएगी और विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दी जायेगी;

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, निदेशक, उपनिदेशक, कुल सचिव, उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव को छोड़कर विश्वविद्यालय में अपने पद या सेवा को, उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों पर, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और जब तक उनमें परिवर्तन न हो जाय, जिसके अन्तर्गत छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि और अन्य मामले भी हैं, धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय और उसने विश्वविद्यालय के नियोजन संबंधी निबन्धन एवं शर्तों के लिए विकल्प न दे दिया हो;

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के वर्तमान छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हों, पूर्व व्यवस्था के अधीन शैक्षिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जारी रखेगें, जब तक कि उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित समिति की संस्तुति पर अध्यादेशों में अन्यथा कोई विशिष्ट उपबंध न किया गया हो;

(7) विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना विश्वविद्यालय की किसी चल या अचल सम्पत्ति को न पट्टे पर देगा, न उसका विक्रय करेगा या अन्यथा न उसका अन्तरण या निस्तारण करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित वर्तमान आवश्यकताओं, प्रत्याशित परिवर्तनों और प्रक्षिप्त दीर्घकालिक शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना, युक्ति निकालना और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

(ख) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ज्ञान की अभिवृद्धि करना; अध्ययन करना और अनुसंधान नवाचार तथा उद्भवन का संवर्धन करना, समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान का प्रसार करना और ऐसे क्षेत्रों में की गयी प्रगति द्वारा निरन्तर जनित उपकरणों और पद्धति के विषय में वृहद रूप से जानकारी प्रदान करना;

(ग) एक तरफ शैक्षिक संस्थाओं और शोध समुदायों के मध्य और दूसरी तरफ उद्योग और विश्वविद्यालय के मध्य सहयोग एवं विचारों का आदान प्रदान करना और उद्यमिता का संप्रवर्तन करना;

(घ) विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार हेतु बेहतर पारस्परिक क्रिया और समन्वय का संवर्धन करना और शिक्षा को सुकर बनाना;

(ङ) अनुशासन और बौद्धिक अन्वेषण की क्षमता का संप्रवर्तन करना और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सतत रूप से प्रयासरत रहने के लिए एक निर्भय शैक्षिक समुदाय के रूप में स्वयं को समर्पित करना;

(च) अनुसंधान तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से नवाचार का संप्रवर्तन करना;

(छ) समाज के लाभ के लिए कौशल विकास एवं मानवशक्ति प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ज) छात्रों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों में उभरते हुए उद्यमियों के लिए अनुसंधान और विकास तथा उद्भवन सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें विधिक, वित्तीय, विपणन और अन्य मामलों में सहायता प्रदान करना;

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

5-(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होगें:-

(क) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, में अनुदेश, प्रशिक्षण,शोध और नवाचार की व्यवस्था करना और उक्त विषयों में शिक्षा प्राप्ति के सम्प्रवर्तन और ज्ञान के प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) परीक्षाओं का आयोजन करना और मानद उपाधियां, पोस्ट डॉक्टोरल उपाधियां (डीएससी, डी लिट) डॉक्टोरल उपाधियॉ, डयूअल उपाधियां, पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करना :-

(एक) जिन्होनें पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय या अंशतः विश्वविद्यालय में अंशतः किसी अन्य संस्था में परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अध्ययन किया हो; अथवा

(दो) जो अध्यादेशों में यथा विहित या निर्धारित शर्तों के अधीन अन्य शैक्षणिक या शोध संस्थाओं में अध्यापक, शोधकर्ता या उद्यमकर्ता हों और परिनियमों और अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमा आदि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन करनाः

परन्तु यह कि मानद उपाधि प्रदान करने से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगा;

(घ) अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार या सहयोग करना जैसा विहित किया जायः

परन्तु यह कि किसी विदेशी सहयोग के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा;

(ङ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, शोध, वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी पद सृजित करना और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(च) अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार सम्मेलन, परिसंवाद, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां आदि आयोजित करना;

(छ) अध्यादेशों द्वारा यथा निर्धारित शुल्क और प्रभार की मांग करना, उन्हें प्राप्त करना, रखे रहना और व्यय करना;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए परिसर में भवनों/फ्लैटों और हॉस्टलों/हॉलों को स्थापित करना और उनका प्रबन्धन

तथा अनुरक्षण करना;

(झ) हॉस्टलों/हॉलों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालयों के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक एवं अन्य संबंधित पहलुओं के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को पूरा करने हेतु विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों, इकाईयों, प्रेक्षागृहों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य आवश्यक सत्ताओं की स्थापना अनुरक्षण और उनका प्रबंधन करना;

(ट) विश्वविद्यालय के विभिन्न सत्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनकी गतिविधियों का अधीक्षण करना;

(ठ) राज्य और राष्ट्र की आवश्यकताओं की विशेषज्ञताओं, शिक्षा के स्तर और तकनीकी मानव शक्ति (अल्प-कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही) का निर्धारण करने के लिए और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम का सूत्रपात प्रारम्भ करना;

(ड) अभियंत्रण प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों में निहित प्रवृत्तियों की गहन जानकारी पर आधारित उच्चतर अध्ययन और शोध संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे व्यवसायियों को तैयार करने की दृष्टि से करना जो न केवल आधुनिक हों बल्कि मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भी योग्य हों;

(ढ) शोध, नवाचार, अभिकल्प और विकास संबंधी ऐसी गतिविधियों जो राज्य और राष्ट्र के सामाजिक आवश्यकताओं और विकास कार्यक्रमों के सुसंगत हों, का सम्प्रवर्तन करना;

(ण) प्रशासकीय, लिपिकीय और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य पदों का राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजन करना और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(त) पूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों और सरकार के सहयोग को सूचीबद्ध करने हेतु उपाय करना;

(थ) पाठ्‌यपुस्तकों और अन्य शिक्षा सामग्री आदि की तैयारी के लिए और शोध पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रकाशित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(द) शैक्षणिक मापदण्ड में उद्‌देश्यों के सतत मूल्यांकन और पुनर्भिविन्यास के उत्तरोत्तर परिचय के लिए व्यवस्था करना;

(ध) विस्तारीकरण, विविधीकरण तथा ज्ञान कौशल का अद्यतनीकरण या अभिवर्धन के उद्‌देश्य से सतत शिक्षा का अवसर प्रदान करना;

(न) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्‌यक्रमों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सेवा की अपेक्षाओं और अवसरों के सम्बन्ध में जनमानस को शिक्षित करना ;

(प) तकनीकी शिक्षा, शोध और विकास, नवाचार और उद्‌भवन से संबंधित मामलों में सरकार के किसी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(फ) ऐसे कार्यों और चीजों को करना जो विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हो;

(ब) भारत में अथवा विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुबद्ध आचार्य/वैज्ञानिक, अनुबद्ध सह आचार्य/वैज्ञानिक तथा

अनुबद्ध सहायक आचार्य/वैज्ञानिक प्रतिष्ठित आचार्य/वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त करना तथा मान्यता प्रदान करना;

(भ) शिक्षकों/छात्रों को विश्वविद्यालय में तथा अन्य विश्वविद्यालय/विद्यालयों तथा उद्योगों में सीमित अवधि हेतु विश्वविद्यालय के हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार शिक्षक की अनुमति से इधर-उधर जाने हेतु सुविधा देना, परन्तु यह कि विदेश मे परिदर्शन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी;

(म) विश्वविद्यालय, विद्यालय, केन्द्र और इकाई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रों के प्रवेश का पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा विनियमन करना;

(य) अधिमानतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड, जैसा लागू हो, द्वारा विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई में अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करना;

(कक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एआईसीटीई/यूजीसी) के मापदण्ड के अनुसार विश्वविद्यालय में अध्यापक/ छात्र अनुपात और शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अनुपात को बनाए रखना;

(कख) प्रत्येक विश्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई के शैक्षिक और शोध कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;

(कग) निरीक्षण के प्रयोजनार्थ स्थापित उपयुक्त तंत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई का, जहाँ आवश्यक हो, निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक उनके द्वारा बनाए रखे जाएं और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, कार्यशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(कघ) न्यासों, विन्यासों और संस्था का धारण और उनका प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए अध्यादेशों में यथा निर्धारित अध्येतावृति, विश्राम/अध्ययन छुट्टी, यात्रा अध्येतावृति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृति, शोध, पदक और शोध पुरस्कार संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(कङ) अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर यथा विनियमित शुल्क और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना, रखे रहना, वसूल करना, प्राप्त करना तथा व्यय करना;

(कच) विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों के आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियन्त्रण रखना और उन्हें विनियमित करना;

(कछ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के स्वस्थ वातावरण और कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(कज) परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यों का निर्धारण करना;

(कझ) विश्वविद्यालय के परिसर में यथा विहित कार्यालय अवधि के दौरान और कार्यालय अवधि के बाद अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की उपयुक्त हाजिरी और उपस्थिति को सुनिश्चित करना और अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द को निजी ट्यूशन या निजी कोचिंग कक्षाएं या व्यवसाय आदि के चलाने या संचालित करने से प्रतिषिद्ध करना;

(कञ) परिनियम में दिये गये उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय में उद्योग, शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करना, परिनियम के उपबंधों के अनुसार पारस्परिक लाभ के लिए और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आपसी बातचीत और विचार-विमर्श में तेजी लाना;

(कट) समस्त सुसंगत मामलों के लिए आचार संहिता विहित करना;

(कठ) जब भी आवश्यक हो, निम्नलिखित का अनुरक्षण, प्रबंधन और उनकी स्थापना करना :

(क) मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग;

(ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड;

(ग) सूचना ब्यूरो;

(घ) रोजगार मार्गदर्शन ब्यूरो; और

(ङ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक और संभव हों;

(कड) निम्नलिखित में छात्रों की भागीदारी के लिए व्यवस्था करना :-

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(ग) राष्ट्रीय खेल संगठन;

(घ) शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण;

(ङ) वहिर्वर्ती अध्यापन और शोध;

(च) वयस्क तथा सतत् शिक्षा और विस्तार, यदि कोई हो, से सम्बन्धित कार्यक्रम;

(छ) आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की ओर केन्द्रित कोई अन्य कार्यक्रम, सेवा या क्रियाकलाप जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक और संभव हो;

(कढ) विश्वविद्यालय क्षेत्र में संचालित किसी ऐसी इकाई का विश्वविद्यालय के हित में, परिसमापन करना जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जांच समिति को प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी इकाई द्वारा अनियमितताएं या आपराधिक प्रकृति के कृत्य या अनाचरण किये गये हैं;

(कण) विदेश और देश के भीतर विश्वविद्यालयों, संस्थाओं,शोध प्रयोगशालाओं, उद्योग के साथ शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ करना तथापि विदेशी विश्वविद्यालय के उपर्युक्त सहयोग की दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा;

(कत) विदेशी अभिकरणों से सहयोग कार्यक्रमों के लिए निधि प्राप्त करना जो उस निमित्त केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा;

(कथ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए किसी परिचालन स्कीम का सृजन करना;

(कद) विश्वविद्यालय में एक से अधिक विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय के शोध प्रयोगशालाओं, विद्यालय उद्योगों एवं अन्य निकायों के भी मध्य एकल वेतनमान पर संयुक्त नियुक्ति करना;

(कध) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पद संरचना को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापन और शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की पदोन्नति प्रदान करना;

(कन) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन तथा कार्यान्वयन करना;

(कप) प्रौद्योगिकी के लाभ को संबंधित क्षेत्र में अन्तरित करने के उद्देश्य से उद्योग और समाज को परीक्षण और परामर्श सेवा प्रदान करना;

(कफ) विश्वविद्यालय के उदीयमान उद्यमकर्ताओं, छात्रों और साथ में अन्य संस्थाओं के अध्यापकों तथा कुशल व्यक्तियों और उद्योगों को नवाचार और उद्भवन सहायता प्रदान करना;

(कब) नवाचार और शोध और विकास गतिविधियों का सम्प्रवर्तन करना;

(कभ) विश्वविद्यालय परिसर में पेटेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना ;

(कम) विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, उपकरण केन्द्र, कार्यशाला तथा स्टेडियम तथा क्रीड़ा-स्थल आदि हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(कय) कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त पीठों, संस्थाओं, भवनों के नाम पर व्यक्ति/व्यक्तियों से उपकृति, धर्मदान और उपहार और तत्समान अन्य वस्तुएं प्राप्त करना;

(खक) विद्यालय कार्यक्रमों की समाप्ति पर पूर्व स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर पर छात्रों के लिए नियोज्यता, उद्यमिता और अन्तर वैयक्तिक कौशल के सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

विश्वविद्यालय की निधि

6-विश्वविद्यालय की निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :-

(क) राज्य सरकार से अनुदान;

(ख) केन्द्र सरकार से अनुदान;

(ग) बचत, सावधि जमा तथा अन्य आस्तियों पर बैंक ब्याज से अर्जित आय;

(घ) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों, रायल्टी, पेटेंट, उद्भवन से अर्जित राजस्व;

(ङ) परीक्षण सेवा तथा उद्योगों को परामर्श से अर्जित राजस्व;

(च) छात्रों का शुल्क;

(छ) अन्य शुल्क इत्यादि।

विश्वविद्यालय सभी वंश,मत, जातियों और वर्गों के लिए होगा

7-(1) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

(2) इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नही रोकेगी।

अध्याय-3

सरकार द्वारा निरीक्षण, जाँच एवं निदेश

निरीक्षण एवं जांच

8-(1) सरकार के पास यह शक्ति होगी कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विश्वविद्यालय और उसके साथ उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोशालाओं, कार्यशालाओं और उपस्कर, परीक्षाओं, अध्यापन और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य संबंधित कार्यों का निरीक्षण करा सके अथवा इसी प्रकार विद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य मामलों के सम्बन्ध में जॉच करा सके;

(2) जहाँ राज्य सरकार धारा 8(1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे वहां वह कुलसचिव के माध्यम से निरीक्षण के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करेगी और कार्य परिषद द्वारा नामित कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रह सकेगा और उसे यह अधिकार होगा कि इस रूप में उसकी बात सुनी जाय:

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण जॉच के समय विश्वविद्यालय की तरफ से उपस्थित होने, अभिवाक् करने या कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा;

(3) धारा 8(1) के अधीन निरीक्षण या जॉच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय शपथ पत्र का साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कराने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया समझी जायेगी;

(4) राज्य सरकार ऐसी जॉच या निरीक्षण के परिणाम को कुलपति को प्रेषित करेगी और कुलपति आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात राज्य सरकार के विचारों को ऐसे परामर्श के साथ

जो राज्य सरकार उस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रदान करे, कार्य परिषद को संसूचित करेगा;

(5) कुलपति राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही की आख्या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे;

(7) राज्य सरकार धारा 8(1) के अधीन करायी गयी जॉच या निरीक्षण और धारा 8(5) के अधीन कुलपति से प्राप्त संसूचना और धारा 8(6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश की आख्या और ऐसे निर्देश के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक आख्या या सूचना की भी एक प्रति कुलाधिपति को प्रेषित करेगी;

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति प्राविधिक शिक्षा विभाग के परामर्श से विश्वविद्यालय के किन्हीं कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुरूप न हों, लिखित रूप में निरस्त करने के लिए आदेश दे सकता हैः

परन्तु यह कि ऐसा आदेश देने के पहले कुलाधिपति विश्वविद्यालय से यह कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाय और वह बताये गये कारण, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विचार करेगा;

(9) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व एचबीटीआई कानपुर के शासकीय बोर्ड के समक्ष वर्तमान और लंबित जांच/निरीक्षण आमंत्रित करने वाले समस्त मामलों को हस्तगत कर लेगा और इसकी विभिन्न उप-समितियॉ इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालय के सृजन के साथ विलीन हो जायेंगी। शासकीय बोर्ड और उसकी विभिन्न उप-समितियों के समक्ष ऐसे समस्त मामले विश्वविद्यालय के कार्य परिषद द्वारा स्वतः अधिकार में ले लिए जाएंगे।

सरकार का नियंत्रण

9-(1) राज्य सरकार ऐसे नीतिगत मामलों पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा;

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य नहीं करेगाः-

(क) जिस प्रयोजन के लिए चिन्हित निधि प्राप्त की गयी हो उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसे परिवर्तित करना;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण करना;

(ग) किसी ऐसे निर्णय को लेना जिससे विश्वविद्यालय या राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय दायित्व आये।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के खातों की लेखा नमूना परीक्षा या पूर्ण लेखा परीक्षा, जैसा सरकार उचित समझे, करायेगी।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होगें:-

(1) कुलाधिपति

(2) कुलपति

(3) प्रति कुलपति

(4) कुलसचिव

(5) वित्त नियंत्रक

(6) डीन शैक्षिक क्रियाकलाप

(7) डीन सतत् शिक्षा तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन

(8) डीन उद्भवन हब

(9) डीन योजना तथा संसाधन उत्पादन

(10) डीन शोध एवं विकास

(11) डीन छात्र कल्याण

(12) डीन विश्वविद्यालय विद्यालय

(13) विश्वविद्यालय विभाग, विद्यालय, केन्द्र अथवा इकाई के अध्यक्ष

(14) परीक्षा नियंत्रक

(15) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जाएं।

कुलाधिपति

11-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और जब वह उपस्थित हों, तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे;

(2) किसी मानद उपाधि प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा;

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी कोई सूचना या अभिलेख मांग सकते हैं जिसका विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के निकाय, समिति या अधिकारी के संकल्प, आदेश या कार्यवाही को निरस्त या उपान्तरित कर सकते हैं, जो उनकी राय में इस अधिनियम परिनियम, अध्यादेशों या उनके अधीन बनाए गये विनियम के उपबंधो के अनुरूप न हो अथवा विश्वविद्यालय के हित में न हो और विश्वविद्यालय प्राधिकारी, निकाय, समिति और अधिकारी उसका अनुपालन करेंगे;

(5) कुलाधिपति के पास ऐसी शक्तियां होंगी जैसा परिनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाए।

कुलपति

12-(1) कुलपति अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा जिसके पास उच्चतर शिक्षा के स्नातक प्राविधिक उपाधि स्तर के संस्थान या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति उपधारा (3) में यथा उपबंधित समिति की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा की जायगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(क) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(4) समिति कुलपति के पद का कार्यकाल के समाप्त होने के कारण या अन्यथा होने वाली

किसी रिक्ति के दिनांक के कम से कम 60 दिन पूर्व और जब भी आवश्यक हो और ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, कुलपति का पद धारण करने के लिए योग्य न्यूनतम तीन और अधिकतम पॉच नामों को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति नामों को प्रस्तुत करते समय कुलाधिपति के समक्ष एक संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी जिसमें इस प्रकार संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताएं प्रदर्शित की गयी होंगी, परन्तु समिति उसमें अधिमानता क्रम को इंगित नहीं करेगी।

(5) यदि कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत एक या उससे अधिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा एक या एक से अधिक संस्तुत व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नही हैं और कुलाधिपति के पास चुनाव का विकल्प तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित है तो वह उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए समिति से अपेक्षा कर सकते हैं। इस समय कुलाधिपति के लिए उपधारा (4) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए कुलपति का चयन पूर्ण करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) (क) केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद को धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे;

(ग) 65 वर्ष की आयु न प्राप्त करने वाले कुलपति को इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दो लगातार कार्यकालों से अधिक कार्यकाल के लिए कुलपति का पद धारण करने के लिए पात्र नही होगाः

परन्तु यह और कि कुलपति कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और वह कुलाधिपति द्वारा ऐसे त्याग पत्र के मंजूर किये जाने के पश्चात अपने पद पर बना नहीं रहेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, कुलपति की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी उस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय और उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभ के लिए उनमें परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(8) कुलपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाय कि पदधारी -

(क) पागल हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;

(ख) नैतिक अधमता में संलिप्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(घ) दीर्घकालिक बीमारियों या शारीरिक निःशक्तता के कारण कृत्यों का निर्वहन करने में शारीरिक रूप से अनुपयुक्त और असमर्थ हो गया हो;

(ड.) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में चूक किया हो या कार्यान्वयन से इन्कार किया हो या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग किया हो;

(च) किसी ऐसे राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन का सदस्य हो, या अन्यथा सम्बद्ध हो, या वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग ले रहा हो, या

उसकी सहायता के लिए अभिदाय करता हो, या उसमें भाग लेता हो;

(9) यदि कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के हित में कुलपति का पद पर बने रहना हानिकारक है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैः

परन्तु यह कि कुलपति को अपने हटाये जाने के आदेश के जारी होने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित कोई पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने का हकदार नही होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कुलपति के रूप में की जाती है, तो उसे भविष्य निधि में अभिदाय के लिए बने रहने दिया जायेगा जिसके लिए वह अभिदाता हो और विश्वविद्यालय का अभिदाय उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

13-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और,-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) वह कार्य परिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(4) कुलपति को कार्यपरिषद, विद्या परिषद और वित्त समिति आदि के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(5) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति से भिन्न, जहाँ कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट वह तत्काल कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वालों की अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के

अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति के आदेश को पुष्ट या निष्प्रभावी या उपान्तरित कर सकता है।

इस उपधारा की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी अध्यादेशों में निर्धारित या विहित की जाय;

(7) कुलपति को विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय, जैसा वह निदेशित करें, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्कर इत्यादि और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त हॉल या छात्रावास और विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने और इसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में या किसी विभाग का निरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त होगा;

प्रति-कुलपति

14-(1) यदि कुलपति, आवश्यक समझे तो कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रति-कुलपति एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आचार्य का पद धारण किया हो।

(3) विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ करेगा।

(4) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) प्रति-कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा जाय।

(6) प्रति-कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा यथा अवधारित मानदेय दिया जायेगा।

(7) प्रति-कुलपति का कार्यकाल कुलपति के पद का सहविस्तारी अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, होगा।

कुलसचिव

15-(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे पदाधिकारियों में से, जो विशेष सचिव या समकक्ष श्रेणी से निम्न न हो ऐसे निबन्धन और शर्तों पर तीन वर्ष के लिए की जायेगी जैसे विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कुलसचिव कार्यपरिषद का पदेन-सचिव होगा।

(5) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं या कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(6) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, जैसा विहित किया जायं, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

वित्त नियंत्रक

16-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर होगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति और कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखा विवरण तैयार करके प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे वित्त से संबंधित कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) वित्त नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि -

(क) विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय या विनिधान, जो वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट में प्राधिकृत या उपगत न हो, नहीं किया जाय;

(ख) प्रस्तावित व्यय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हो;

(ग) कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय;

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए समय पर कार्यवाही की जाय;

(ड.) विश्वविद्यालय के विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे वित्तीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसकी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त नियंत्रक कार्य परिषद के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की ओर से सभी वित्तीय संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाय।

(8) वित्त नियंत्रक वित्त समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(9) वह समय-समय पर जारी सभी वित्तीय, वित्तीय नियम संग्रह और वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के अनुदेशों का पालन करेगा।

डीन,शैक्षिक क्रियाकलाप

17-(1) शैक्षिक क्रियाकलाप का डीन, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। उनकी परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाशर्तें, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय।

(2) डीन दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को छोड़कर, सभी शैक्षिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र के समुचित प्रशासनिक कार्यकलाप के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह विद्या परिषद का सदस्य सचिव होगा।

डीन, सतत् शिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन।

18-(1) सतत् शिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के डीन को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। उसकी परिलब्धियां, सेवाशर्तें एवं निबन्धन,शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किए जाएं। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन और सतत् शिक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालय अस्पताल के समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह विभिन्न विभागों में विद्या परिषद के लिए अध्ययन के पाठ्य विवरण में समीक्षा या परिवर्तन हेतु संबंधित क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त उद्योगों से अभ्युक्तियां प्राप्त करेगा।

(6) वह संकाय सदनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य इकाइयों का निरीक्षण करेगा और पायी गयी कमियों को हटाने के लिए विश्वविद्यालय की भवन और निर्माण समिति और अन्य का कुलपति को सूचित करते हुए लिखेगा।

उद्भवन हब का डीन

19-(1) उद्भवन हब का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाशर्तें, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगें जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किये जाए। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) उद्योग-विश्वविद्यालय पारस्परिक विचार-विमर्श;

(ख) उद्भवन हब के प्रबन्धन;

(4) वह कार्य परिषद् के अनुमोदन से चयनित समाज से उभरते उद्यमियों, छात्रों, अध्यापकों और अभियंताओं और सक्षम तकनीकी व्यक्तियों के लिए स्थापित उद्भवन हब के साधारण प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय घर में विकसित उत्पाद और प्रक्रिया पर आधारित एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए न्यायसंगत उद्यम पूंजी उत्पन्न करने हेतु उन्हें सहयोग भी प्रदान करेगा।

(5) वह संबंधित शाखा के छात्रों के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के साथ जुड़े हुए, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 30 दिनों की अवधि के लिए तीन वर्ष में एक बार अभियंत्रण/तकनीकी/प्रबंध विधाओं से सुसंगत उद्योग के अध्यापकों के संलग्नकों को कार्य परिषद को संस्तुत करेगा।

डीन योजना तथा संसाधन जनन

20-(1) योजना तथा संसाधन जनन का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबंधन और सेवाशर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उद्योग के लिए परामर्श और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के सम्प्रवर्तन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(4) वह विश्वविद्यालय के सेवानियोजन के लिए विश्वविद्यालय के सेवानियोजन प्रकोष्ठ के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह पूर्व छात्र प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय के लिए संसाधन जनन के अभिदाय हेतु उनको प्रेरित करेगा।

(6) वह विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और उद्भवनकर्ताओं द्वारा जनित विश्वविद्यालय की ओर से एकस्व (पेटेंट) और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आई.पी.आर.) दायर करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(7) सभी विभागाध्यक्षों, योजना तथा संसाधन जनन के डीन से मिलकर गठित औपचारिक समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) विश्वविद्यालय के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से संसाधन जनन;

(ख) विश्वविद्यालय और इसके छात्रों के कल्याण के लिए नयी नीतियों और तंत्रों हेतु योजना और अन्य रणनीतियों की तैयारी।

डीन,शोध एवं विकास

21-(1) शोध एवं विकास का डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवा-शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशो में निर्धारित किये जांय। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(3) वह विश्वविद्यालय शोध एवं विकास परिषद का सदस्य-सचिव होगा।

(4) विश्वविद्यालय के उत्पादों, विधि विशेषज्ञताओं और कार्यप्रणाली इत्यादि के एकस्व (पेटेन्ट) प्रक्रिया के साथ-साथ शोध क्रियाकलाप के संप्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

डीन, छात्र कल्याण

22-(1) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबंधन और सेवा शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि में से छात्रों से सम्बन्धित छात्रावास अथवा छात्र निवास जिनमें भोजनालय सुविधा, सफाई, विद्युत यांत्रिकी तथा नागरिक समस्याओं आदि के अनुरक्षण इत्यादि शामिल है, का समुचित क्रियान्वयन;

(ख) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना।

(4) वह विश्वविद्यालय छात्र क्रिया-कलाप परिषद का अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के प्राविधिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के संचालन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(5) वह छात्रों की नीचे उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगाः-

(क) राष्ट्रीय सेवायोजना उप परिषद्

(ख) फोटोग्राफी उप परिषद्

(ग) साहित्यिक उप परिषद्

(घ) अभिरूचि उप परिषद्

(ङ) क्रीड़ा उप परिषद्

(च) योग उप परिषद्

(छ) राष्ट्रीय कैडेट कोर उप परिषद

(ज) सांस्कृतिक उप परिषद् आदि

डीन, विश्वविद्यालय के विद्यालयों

23-(1) विश्वविद्यालय में विभिन्न चार विद्यालयों अर्थात अभियांत्रिकी विद्यालय, रासायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय, मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय और मानविकी एवं

सामाजिक विज्ञान विद्यालय में से प्रत्येक के लिए चार डीन, विश्वविद्यालय के विद्यालय होंगे।

(2) डीन विद्यालय का नाम निर्देशन कुलपति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विद्यालयों के अधीन विभागों के आचार्यों में से किया जाएगा। उसकी परिलब्धियाँ, निर्बन्धनों, सेवा शर्तें तथा अधिकार एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(3) उसका कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा और वह लगातार पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(4) वह सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से विद्यालय के अधीन विभिन्न विभागों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह उद्योग शिक्षा वार्तालाप की नयी क्रियाविधि सुझाने के अतिरिक्त, विभाग में परामर्श, शोध एवं नवाचार कार्य के पर्यवेक्षण हेतु, उद्योग आदानों को शामिल करने के पश्चात् पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा तथा नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) डीन, अभियांत्रिकी विभाग एवं इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा केन्द्रीय कार्यशाला अथवा कोई अन्य विभाग जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) डीन, रसायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय के डीन सुघट्य प्रौद्योगिकी, प्रलेप प्रौद्योगिकी, तैल प्रौद्योगिकी, जैव-रासायनिकी अभियांत्रिकी, चर्म प्रौद्योगिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी अथवा विश्वविद्यालय के अनुसार अन्य किसी विभाग के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय का डीन, भौतिकी, रसायन, गणित तथा संगणक अनुप्रयोग विभाग अथवा किसी अन्य विभाग, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, विद्यालय का डीन अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्रबंधन तथा भाषायें आदि अथवा किसी अन्य विभाग जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, विभाग/केन्द्र इकाई

24-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग/केन्द्र/इकाई एक अध्यक्ष के प्रभार में होगा, जिसका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विभाग/केन्द्र/इकाई के आचार्यों में से और आचार्य न होने की दशा में सह-आचार्यों में से किया जाएगा।

(2) सम्बन्धित विद्यालय के डीन के माध्यम से विभाग/केन्द्र/ इकाई का अध्यक्ष कुलपति के सामान्य नियंत्रण में विभाग/केन्द्र/इकाई के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और कुलपति के निर्णयों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना, विभाग/केन्द्र/इकाई के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

(4) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष विभाग के पाठ्य बोर्ड जैसा लागू हो, का अध्यक्ष होगा।

(5) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को, प्रश्नपत्र सेटर की नियुक्ति, शोध एवं लघुशोध प्रबंध के मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षक, जहां भी स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट अथवा उच्च शिक्षा इत्यादि की उपाधि प्रदान करने हेतु लागू करना हो, की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों की अनुसंशा करेगा।

(6) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष सतत् शिक्षा कार्यक्रम तथा अभिविन्यास एवं

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु सुझाव देगा।

परीक्षा नियंत्रक

25-(1) (क) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो आचार्य से निम्न श्रेणी का न होगा, की जाएगी।

(ख) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन तथा उनके परिणामों की घोषणा के लिए मुख्य प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विद्या परिषद् के अधीक्षण, निर्देशन एवं नेतृत्व में करेगा। वह कुलपति के सीधे निर्देशन व नियंत्रण में दो वर्ष हेतु कार्यरत होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल तथा परीक्षा मण्डल द्वारा नियुक्त उप समितियों का अध्यक्ष होगा।

(3) व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना परीक्षा नियंत्रक परीक्षा आयोजित करवाने तथा उनके परिणाम घोषित करवाने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि-

(क) परीक्षा कैलेण्डर पहले से तैयार करके घोषित करे;

(ख) प्रश्नपत्रों के छपवाने का प्रबन्ध करे;

(ग) परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में किये गये प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन करे, और परिणाम प्रक्रिया को पूरा करने की व्यवस्था करे;

(घ) परीक्षा तथा अन्य परीक्षणों के परिणामों का समयबद्ध प्रकाशन की व्यवस्था करे;

(ङ) कदाचार की स्थिति में अथवा परिस्थिति के अनुसार परीक्षाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्थगित करना या निरस्त करना तथा कुलपति की स्वीकृति उपरान्त, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा कदाचार में आरोपित संस्था के विरूद्ध अनुशासनात्मक अथवा सिविल या दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ करे। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा किये गये कदाचार के जघन्य मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा की जायेगी।

(च) परीक्षा सम्बन्धी कदाचार में दोषी पाये गये, परीक्षार्थियों, प्रश्नपत्र सेट करने वालों, परीक्षकों, परिअनुसीमकों अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

(छ) समय-समय पर विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों का अवलोकन कर, शैक्षिक परिषद के माध्यम से कार्यकारी परिषद को विवरण अग्रसारित करना।

(4) परीक्षा नियंत्रक ऐसे सभी कार्य सम्पादित करेगा और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा उसे समय-समय पर सौंपा जाय।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं प्राधिकारी

26-कुलाधिपति, कुलपति, वित्त नियंत्रक तथा कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में विहित और निर्धारित किये जांय।

विश्वविद्यालय के सभी वेतन भोगी अधिकारी, प्राधिकारी, समितियाँ अथवा निकाय अध्यापक और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारिवृन्द/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्याय-पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

27–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(1) कार्य परिषद्

(2) विद्या परिषद्

(3) वित्त समिति

(4) शोध एवं विकास परिषद्

(5) उद्‌भवन परिषद्

(6) विद्यालय/विभाग/केन्द्र/इकाइयाँ

(7) प्रवेश समिति

(8) अध्ययन बोर्ड

(9) परीक्षा बोर्ड

(10) शैक्षणिक समिति

(11) सतत शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र

(12) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाँय।

कार्य परिषद्

28–(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति; अध्यक्ष

(ख) प्रति–कुलपति; यदि कोई सदस्य

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नाम निर्देशिती; सदस्य

(घ) निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नामनिर्देशिती; सदस्य

(ङ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या उसका नामनिर्देशिती; सदस्य

(च) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलपति या कुलपति का नामनिर्देशिती जो आचार्य की श्रेणी से अनिम्न होगा; सदस्य

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात उद्योगपति; सदस्य

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात प्रौद्योगिकीविद्; सदस्य

(झ) प्राविधिक शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव; सदस्य

(ञ) वित्त विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का

नामनिर्देशिती;
सदस्य

(ट) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का नामनिर्देशिती;
सदस्य

(ठ) कार्य परिषद् के पदेन सचिव के रूप में कुलसचिव।
सदस्य

(2) धारा 28(1) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जब तक कि वह स्नातक न हो, कार्य परिषद् के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(4) कार्य परिषद् एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के छः सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक, यदि आवश्यक हो, किसी बैठक के कार्यसूची में सम्मिलित अपने कार्य के मामलों के सम्बन्ध में मताधिकार के बिना अपने संबंधित क्षेत्र के मामलों में परिषद् के विशेष अतिथि हो सकेंगे।

(7) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् के रूप में चुने जाने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसके परिजन अवैध परितोषण में किसी कार्य के लिए विश्वविद्यालय या किसी संविदा के लिए सामानों की आपूर्ति के लिए, या विश्वविद्यालय के लिए किसी कार्य के निष्पादन हेतु लिप्त हों।

स्पष्टीकरणः- इस धारा में सम्बन्धी का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1951 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्धियों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी के (या पति के) भाई, पत्नी के (या पति के) पिता, पत्नी की या पति की बहन, भाई का बेटा और भाई की बेटी भी हैं।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य

29-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होंगेः-

(क) विभिन्न शैक्षिक विभागों, विद्यालयों तथा शोध केन्द्रों की कार्यशीलता की, समय-समय पर, यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करना कि वे विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा यदि आवश्यक हो तो उन्नयन हेतु उचित निर्देश देना;

(ख) विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक निर्देश तथा शोध सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाना ताकि विश्वविद्यालय निर्धारित स्तर प्राप्त करे तथा विश्वविद्यालय के स्नातक लाभपूर्ण सेवायोजन अथवा उच्च शिक्षा हेतु अवसर प्राप्त करने में सक्षम हों तथा समय-समय पर इस हेतु उन्नति की समीक्षा करना;

(ग) निम्नलिखित पर विचार-विमर्श तथा अनुमोदन देना–

(एक) वार्षिक लेखा; तथा

(दो) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट;

(घ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, व्यापार तथा अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्धन तथा विनियमन करना तथा इस उद्देश्य हेतु समितियों का गठन एवं विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों को अथवा ऐसे अधिकारियों को यथोचित शक्तियाँ प्रदान करना;

(ङ) प्रदेश सरकार की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की अनुप्रयुक्त आय सहित अन्य धन को भारत में अचल सम्पत्ति में क्रय हेतु प्रयोग करना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करना, बदलाव करना, चलाना तथा निरस्त करना तथा इस उद्देश्य हेतु यथोचित अधिकारी नियुक्त करना;

(छ) विश्वविद्यालय के कार्य करने हेतु भवन, परिसर, उपस्कर तथा उपकरण

एवं अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(ज) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु उनकी सुनवाई तथा यथोचित निर्णय लेना;

(झ) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक तथा अन्य पदों का सृजन तथा नियुक्तियाँ करना;

(ञ) शैक्षिक परिषद् से परामर्श से परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा आवश्यकतानुसार उनका निष्कासन एवं उनका शुल्क, परिलब्धियाँ तथा यात्रा व अन्य भत्ते निश्चित करना;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का चयन करना;

(ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कर्तव्य, जिन्हें अधिनियम के अधीन आवश्यक समझा जाय या इसके द्वारा अधिरोपित किया जाय, का निर्वहन करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, कार्य परिषद् अथवा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी विश्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति (प्रबन्धन के सामान्य तौर पर मासिक आधार पर किराये पर दिये जाने के अतिरिक्त) किसी प्रकार के गिरवी, विक्रय, प्रतिदान, उपहार अथवा अन्य विधि आदि से नहीं दी जा सकेगी तथा राज्य सरकार की पूर्व संस्वीकृति के अतिरिक्त, इन सम्पत्तियों पर कोई धन अग्रिम अथवा ऋण नहीं लिया जायेगा।

(3) कोई भी व्यय जिनमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक हो, राज्य सरकार की पूर्वानुमति बिना नहीं किया जायेगा।

(4) वित्त समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय सीमा में कार्य परिषद् वृद्धि नहीं करेगी।

(5) माननीय न्यायालयों द्वारा वर्णित भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(6) कार्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(क) वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम तथा सहयोगात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करना;

(ख) उच्च शिक्षा में औद्योगिक अपेक्षाओं से संगत नये शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु सुझाव देना;

(ग) नयी उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, वित्तीय शोध पुरस्कार तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें इत्यादि स्थापन हेतु सुझाव देना;

(घ) शैक्षिक समिति की अनुशंसा पर मानद उपाधि अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना;

(ङ) उद्भवन हब में कार्यशील गतिविधियों की समीक्षा करना।

(7) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय आगणन (आय-व्ययक), वार्षिक शैक्षणिक आख्या, वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा आख्या इत्यादि को प्राप्त, विचारित तथा अनुमोदित करेगी।

(8) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी एवं उनमें गुणवत्ता तथा विकास हेतु सुझाव देगी।

(9) कार्य परिषद् के सभी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय के आधार पर होगें। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और मतों के समान होने की दशा में ही अध्यक्ष, कार्य परिषद् अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(10) यदि कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो तो कुलपति, परिषद के सदस्यों में कागजातों के संचालन के द्वारा कार्य सम्पन्न करा सकेगा। ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने की दशा में मान्य होगी। कृत कार्यवाही कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरंत सूचित की जायेगी परन्तु यह कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा यदि इसका वित्तीय प्रभाव हो।

विद्या परिषद्

(30)-(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार का नामित प्रतिनिधि;

(ग) विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, विद्या सम्बन्धी डीन सदस्य सचिव होंगे;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ (प्रत्येक से एक) का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;

(च) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का एक प्रतिनिधि;

(छ) विश्वविद्यालय के सभी विभाग, केन्द्र तथा निकाय के अध्यक्ष;

(ज) विश्वविद्यालय के विभाग, केन्द्र तथा निकाय के आचार्य जहाँ विभागाध्यक्ष एसोसिएट आचार्य हो;

(झ) विश्वविद्यालय का मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(ञ) कार्य परिषद् द्वारा नामित शैक्षणिक श्रेष्ठता प्राप्त पांच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों।

(2) विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत होगी।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(4) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(5) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की, वर्तमान तथा भविष्य के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर शैक्षणिक प्रतिपुष्टि हेतु मुख्य शैक्षिक निकाय होगी। इस अधिनियम, परिनियम तथा विनियम के प्राविधानों के अनुसार परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगीः-

(क) वह विश्वविद्यालय में अनुदेशों तथा शिक्षा के स्तर के वहन और अनुरक्षण, नियंत्रण तथा सामान्य नियमन के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) वह कार्य परिषद् को पाठ्यक्रम समिति तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में समन्वयन सम्बन्धी मामलों सहित अन्य सभी शैक्षणिक मामलों पर परामर्श दे सकती है;

(ग) कार्य परिषद् को शैक्षणिक अनियमितताओं के उचित मामलों में प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगी;

(घ) वह कार्य परिषद् द्वारा सूचित मामलों पर विचार करेगी;

(ङ) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे जैसे विहित किये जांय।

(6) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ व कर्तव्य होंगेः-

(क) तकनीकी शिक्षा को रोजगारपरक बनाने हेतु उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर, पाठ्यक्रम का नियमित पुनरीक्षण करना;

(ख) उपाधि, द्वि–उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के संस्थापन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(ग) कार्य परिषद् को शैक्षणिक मामलों सम्बन्धी बिन्दुओं पर प्रावधानों को बनाने, सुधारने अथवा लोप करने हेतु संस्तुत करना;

(घ) नये विद्यालय, विभाग, केन्द्र, उच्च शिक्षा, शोध एवं विशिष्ट अध्ययन, शैक्षणिक सेवाओं की इकाइयों तथा पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं संग्रहालयों इत्यादि की स्थापना हेतु प्रस्ताव बनाना;

(ङ) विश्वविद्यालय के आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा गैर व्यावसायिक शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु नये प्रस्तावों पर विचार करना तथा संस्तुत करना;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों तथा गैर व्यवसायी शैक्षणिक कर्मचारियों एवं इन श्रेणियों में विशिष्ट पद हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत योग्यताओं, अतिरिक्त योग्यताओं, यदि कोई है, को विहित कर राज्य सरकार अथवा अन्य को संस्तुत करना;

(छ) कार्य परिषद् को फैलोशिप, यात्रा फैलोशिप, छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार, शोध पुरस्कार, संकाय सदस्यों का उद्योग सम्बद्धीकरण, उद्योगों को परामर्श इत्यादि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा विनियम बनाना;

(ज) परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध प्रश्न-पत्र सेटर, परीक्षक, मध्यस्थ तथा अन्य हेतु योग्यताएं तथा मानदण्ड प्रस्तावित करना;

(झ) परास्नातक उपाधि (डी0एससी0, डी0लिट0), डाक्टरेट उपाधि, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि-पत्र, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशेषताओं के सभी ग्रहणकर्ताओं की सूची को अनुमोदित करना;

(ञ) कुलाधिपति को कार्य परिषद् के माध्यम से मानद उपाधि प्रदान करने हेतु नामों को प्रस्तावित करना;

(ट) दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित करना तथा आयोजित करना;

(ठ) उद्योगों को परामर्श उपलब्ध कराना।

वित्त समिति

31–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;

(ग) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 सरकार का विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;

(घ) वित्त नियंत्रक– सदस्य सचिव;

(च) कुलसचिव– सदस्य।

(2) वित्त समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम चार बार होगी।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(4) किसी बैठक में तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के सम्पत्ति के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देगी। यह, विश्वविद्यालय के आय तथा संसाधनों के मामले में आगामी वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा

अनावर्ती व्यय की सीमा तय करेगा तथा विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान निश्चित व्यय सीमा को पुनरीक्षित करेगा तथा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी निश्चित सीमा सामान्यतः अनुसरित की जायेगी।

(6) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ होगीः–

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक का परीक्षण तथा संवीक्षा करना एवं कार्य परिषद् को उचित संस्तुति करना;

(ख) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले वित्तीय विषयों पर, कार्य परिषद् द्वारा पहल करने अथवा स्वयं द्वारा अपने विचार रखना तथा कार्य परिषद् को उस पर संस्तुति करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास हेतु संसाधनों के संवर्धन, आश्रयन हेतु संभावना खोजना;

(घ) कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखा के परीक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना;

(ङ) विश्वविद्यालय के निधियों तथा सम्पत्ति के प्रशासन सम्बन्धी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह देना;

(च) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद अथवा अन्य प्राधिकारी, निकाय अथवा समिति या अन्य अधिकारी को वित्तीय मामलों पर सलाह देना;

(ज) कुलपति को, वित्तीय मामलों पर हुई किसी कमी अथवा अनियमितता, जो संज्ञान में है, पर आख्या देना, जो मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत उचित तात्कालिक कदम उठायेगा अथवा कार्य परिषद् को अनुसंशित करेगा;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसी विहित की जांय।

शोध एवं विकास परिषद्

32-(1) विश्वविद्यालय के शोध व सम्बन्धित गतिविधियों के लिए, शोध एवं विकास परिषद उत्तरदायी होगा।

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) परास्नातक शिक्षा अथवा शोध संचालन करने वाला, कुलपति द्वारा नामित एवं अनुमोदित, एक शिक्षक, जो संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष विश्वविद्यालय संस्थान अथवा विभाग अथवा केन्द्र अथवा ईकाई नहीं है;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष शोध एवं विकास जो सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम् दो बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त, समिति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, उद्योगों, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं इत्यादि के साथ पारस्परिक सक्रिय सहयोग स्थापित करेगीः

परन्तु यह कि किसी विदेशी पारस्परिक सहयोग हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(6) समिति उत्तरदायी होगी :-

(क) अंतरविश्वविद्यालय तथा उद्योग, कृषि, बैंक, वाणिज्य तथा समुदाय इत्यादि से विश्वविद्यालय के पारस्परिक विचार विमर्श विकसित करने हेतु विशेष योजनाएं बनाना तथा सम्बन्ध स्थापन हेतु सुझाव देना;

(ख) अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के दृष्टिगत, लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनायें राज्य तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बनाना;

(ग) विश्वविद्यालय हेतु शोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों को कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(घ) सभी अनुमोदित शोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना तथा वर्ष में एक बार, कुलाधिपति को प्रगति आख्या प्रस्तुत करना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित शोध एवं विकास निधि का मूल्यांकन तथा आंकलन करना एवं कार्य परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;

(च) विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी इत्यादि के नवीकरण तथा समकालीन शोध परिक्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता का आंकलन करना तथा शैक्षिक परिषद् को सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक अनुसंशा करना;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विभागों/ केन्द्रों/ईकाईयों द्वारा अनुसंशित पी0एच0डी0 हेतु शोध स्नातक समिति (आर0डी0सी) को अनुमोदित करना;

(ज) विश्वविद्यालय के लिए शोध एवं विकास परीक्षा कराना तथा उसकी आख्या तैयार करना एवं सत्र आधार पर परिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के शोध एवं विकास विवरण अनुरक्षण करना एवं शैक्षिक परिषद/ कार्य परिषद् जैसा लागू हो,को उक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक अनुसंशा करना;

(झ) नियमानुसार विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को प्रस्तुत होने वाली शोध परियोजनाओं के संस्थान तथा विकास हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का आंकलन करना तथा उनको राज्य सरकार अथवा उचित प्राधिकरण को, परिनियमानुसार संसाधित करना;

(ञ) विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के उन्नयन हेतु वित्तीय शोध पुरस्कार, उत्कृष्ट शोध हेतु प्रमाण-पत्र अनुसंशित करना;

(ट) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्रों से प्राप्त एकस्व एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संवीक्षा करना।

उद्भवन हब

33-(1) उद्भवन हब, विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों व समाज के अन्य सिद्धहस्त व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों को, बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त, न्यूनतम आचार्य स्तर का विभाग/केन्द्र/ईकाई का अध्यक्ष, जो कि शैक्षिक परिषद् द्वारा दो वर्ष हेतु नामित होगा;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय शोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष उद्भवन हब सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम् चार बार बैठक करेगी।

(5) परिषद्, उद्भवन हब के उत्कर्ष हेतु रणनीतियों तथा तंत्र की योजनाएं बनाने के साथ, उद्भवन हब के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी।

(6) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से कार्य परिषद् के अनुमोदन के अधीन छात्रों,शिक्षकों तथा अभियंताओं एवं समाज के तकनीक सक्षम व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों हेतु संस्थापित उद्भवन हब के सामान्य प्रशासन हेतु उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालय उद्भवन हब में विकसित उत्पादों एवं विधियों पर आधारित नये उद्योग की स्थापना हेतु उद्यम पूंजी जुटाने के लिए उद्भवन हब को सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(7) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभिन्न विभागों में विद्या परिषद् को, पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षण अथवा बदलाव हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित उद्योगों की आवश्यकतानुसार टिप्पणियाँ तथा अंतर्वस्तु अनुसंशित करेगा।

विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ईकाई

34-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ ईकाई होंगे जैसे विहित किये जांय।

(2) प्रत्येक विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ईकाई अथवा निकाय में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा उसे दिये जांय।

(3) (क) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षण में विद्यालय/ विभाग/ केन्द्र/ईकाई अथवा निकाय में एक संकायाध्यक्ष/ अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी होगा जैसा प्रयोज्य हो। ऐसे संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रभारी की नियुक्ति ऐसे होगी जैसे विहित की जायं।

(ख) विभाग/केन्द्र/ईकाई के अध्यक्ष के पद पर आचार्य में से नियुक्ति चक्रानुक्रम के आधार पर होगी। विभाग/केन्द्र/ईकाई में मात्र एक आचार्य होने की दशा में, अध्यक्ष पद का चक्रानुक्रम आचार्य तथा वरिष्ठतम सहयुक्त आचार्य के मध्य वरिष्ठता के आधार पर होगाः

परन्तु यह कि विभागों के मामले में,-

(एक) कोई आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद सहयुक्त आचार्य के मध्य तीन वर्षों की अवधि हेतु विहितानुसार चक्रानुक्रमित होगा।

(दो) कोई आचार्य तथा सहयुक्त आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष को जायेगा। तथापि वरिष्ठतम सहायक आचार्य विभाग/केन्द्र/ ईकाई का प्रभारी अधिकारी होगा।

(4) अध्यक्ष/विभाग/केन्द्र/ईकाई अपने विभाग/केन्द्र/ ईकाई में शिक्षा कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा तथा अध्यादेश द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ तथा कर्तव्य उसमें निहित होंगे। तथापि सामान्य प्रशासन हेतु वह सम्बन्धित संकायाध्यक्ष विद्यालय को सूचित करेगा।

(5) विभिन्न अध्ययन के विषयों के लिए, अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन किया जायेगा तथा एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय दिये जा सकते हैं।

प्रवेश समिति

35-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसा अध्यादेश में दिया जाय।

(2) प्रवेश समिति का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए ऐसी रीति से जैसे विहित की जाय, चयन करें।

(3) प्रवेश समिति को शक्तियाँ होंगी कि उतनी संख्या में उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

(4) विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश हेतु नीतियों अथवा मानदण्डों का निर्धारण कार्य परिषद् के अधीक्षण के अधीन प्रवेश समिति करेगी।

(5) किसी भी छात्र को जिसे इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रवेश दिया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार उल्लंघन द्वारा किये गये किसी भी प्रवेश को रद्द कर दे।

36-(1) विश्वविद्यालय में एक अध्ययन बोर्ड होगा। इसका गठन ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय। बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगेः- अध्ययन बोर्ड

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक सहित, पुस्तकों, अनुपूरक पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री की संस्तुति करना;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाये गये विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम समिति के परिक्षेत्र में, पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु लेखकों तथा अन्य सिद्धहस्तों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री के प्रकाशन अथवा संकलन अथवा लेखन, साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सामग्री के विकास हेतु, विद्या परिषद को अनुमोदन हेतु संस्तुति करना;

(ग) परीक्षाओं हेतु प्रश्नपत्र निर्धारकों, परीक्षकों तथा परिनियमकों की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों के नामों को सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति करना;

(घ) पाठ्यक्रम की समीक्षा करना तथा संबंधित क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त उद्योगों से प्राप्त आवश्यकतानुसार टिप्पणियों अथवा सामग्रियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।

(2) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(3) पाठ्यक्रम समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक होगी।

परीक्षा बोर्ड 37-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड होगा। इसका गठन इस प्रकार होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) परीक्षा बोर्ड, परीक्षा प्रणाली के उन्नयन प्रश्नपत्र निर्धारकों, परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा परीक्षा के दिनांक की अनुसूची तैयार करने, परीक्षा संचालन तथा इन परीक्षाओं के आयोजन एवं व्यवस्थापन हेतु, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त, परिणामों की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत होगा। विश्वविद्यालय में, परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी करेगा तथा संचालन की देखरेख भी करेगा। परीक्षा बोर्ड, विद्या परिषद को शैक्षणिक दिनदर्शिका तैयार करने हेतु परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

(3) परीक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) परीक्षा नियंत्रक - अध्यक्ष

(ख) कुलपति द्वारा नामित न्यूनतम सहयुक्त आचार्य स्तर का विश्वविद्यालय विभाग का एक अध्यक्ष

(ग) विश्वविद्यालय विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा नामित एक शिक्षक

(घ) उप परीक्षा नियंत्रक-सदस्य सचिव

(4) विद्या परिषद् के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा बोर्ड सामान्यतः विश्वविद्यालय के समस्त आंतरिक परीक्षाओं जिनमें परिनियमन, संवीक्षा और सारणीयन तथा निम्नलिखित अन्य

कार्य शामिल हैं, का परिवीक्षण करेगा;

(क) कुलपति के अनुमोदन से परीक्षकों तथा परिनियमकों को हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा तथा विद्या परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विद्या परिषद को संस्तुति करना;

(घ) प्रस्तावित परीक्षकों के नामों की सूची का संवीक्षण तथा अंतिम रूप देना;

(ङ) सक्षम समिति द्वारा (जिसमें समस्त डीन हैं) कुलपति को प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम को घोषित करना और सक्षम समिति परीक्षा के सम्पूर्ण डाटा और अध्यादेश के अनुसार परिणाण घोषित करने की प्रक्रिया की जांच करेगी।

(5) परीक्षा बोर्ड उतनी उप समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और विशेष रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षकों अथवा परिनियमकों को नियुक्त करने की शक्ति तथा परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग करने सम्बन्धी मामलों को निपटाने तथा निर्णय करने की शक्तियाँ दे सकता है।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी परीक्षा बोर्ड या यथास्थिति किसी समिति या किसी व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की अपनी शक्ति बोर्ड ने प्रत्यायोजित की हो, के लिए ऐसा करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

(7) तात्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता की आपातकालीन दशा में अध्यक्ष, परीक्षा बोर्ड अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति यथोचित कार्यवाही कर सकेगा तथा परीक्षा बोर्ड की अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, परीक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र बनाने के लिए परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

(8) नकल करना, अभिमानी स्वभाव तथा कक्ष निरीक्षक अथवा किसी शिक्षक अथवा परीक्षा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होने की दशा में, परीक्षा नियंत्रक की अनुसंशा पर, कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सम्बन्धित के विरूद्ध दाखिल करायी जायेगी तथा सम्बन्धित सत्र के सभी विषयों में शून्य अंक की प्रविष्टि होगी।

सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र

38-(1) व्यापार, वाणिज्य, कृषि अथवा उद्योग या किसी अन्य तरह की सेवा से सम्बद्ध होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में पंजीकरण कराने में अक्षम व्यक्तियों को, प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय एक सतत् शिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र विहितानुसार स्थापित कर सकता है।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम पृथक-पृथक रूप से संचालित होगा।

अन्य प्राधिकारी

39-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जांय।

अध्याय-छः

अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्धन और शर्तें एवं परिलब्धियाँ

40-विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समस्त कर्मचारियों के नियोजन के निबंधन और शर्तें, उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियॉ ऐसी होंगी जैसी विहित की जांय।

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

41-(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या

अन्यथा नियुक्त किया गया हो, के साथ विश्वविद्यालय एक लिखित संविदा करेगा और संविदा के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के उपबंधों के साथ असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा(1) में निर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जायेगी।

अध्याय-सात

प्रवेश तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

42-(1) विश्वविद्यालय मे ंचल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उपयुक्त विख्यात प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश समिति द्वारा संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार दिया जायेगा।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

43-इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगेः-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियॉ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का चयन नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा, सुविधा, दो बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति,, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते/परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ञ) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ कथित न हों, वही होंगे जैसा उत्तर प्रदेश सरकार के नियम हैं;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ठ) शोध प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वजीफा, पदक पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ड) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ढ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकते हैं;

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

44-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जांय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या संशोधन कर सकती है या परिनियमों को निरस्त कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप का जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, तब तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी से परामर्श न ले लिया गया हो।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जब से कुलाधिपति द्वारा उसे अनुमोदित किया जाय।

अध्यादेश

45-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका पंजीयन और इस प्रकार बने रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएं;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, दोहरी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमा में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ, दोहरी उपाधियाँ, प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निर्धन-छात्रवृत्तियां, पदक, पारितोषिक, पुरस्कार आदि प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवास/छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय;

(झ) किसी भी प्रयोजन हेतु अभिभावक - शिक्षक संघ का गठन;

(ञ) फीस, जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास/छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय;

(ठ) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ण) कर्मचारियों के साधारण कल्याण से संबंधित विषय;

(त) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किये जांय।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

46-(1) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जायेंगे और जब तक प्रथम अध्यादेश नहीं बनाये जाते हैं, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसायटी के नियम ज्ञापन, अवकाश विनियम संचालन नियमावली और उप विधि, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त रहेंगे, छात्र नियमावली वही होगी जो प्रथम अध्यादेश के अभाव में अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व शैक्षिक अधिवेशन के पूर्ववर्ती सूचना विवरणिका में उल्लिखित हो।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है या विद्यमान अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा–

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएं अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विहित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति, किसी समय कार्य परिषद् को निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की

सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियम

47- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते हैं जैसा कि अपने और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हो, के कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में उपबन्ध नहीं किया गया है।

अध्याय-नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

48-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों के साथ ही, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम भी होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष शैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक लेखा

49-(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित, यदि कोई हो, कुलाधिपति और कार्य परिषद् को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कार्यपरिषद् द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा और ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

50-(1) जब कभी विश्वविद्यालय के धन या संपत्ति की हानि, अपशिष्ट या दुरूपयोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई शिकायत प्राप्त की जाती है या राज्य सरकार अपने आप यह सोचना उपयुक्त समझें तो विश्वविद्यालय के विशेष लेखा परीक्षा हेतु निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निदेशित कर सकता है।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा(1) में निर्दिष्ट हानि, अपव्यय या दुरूपयोजन हुआ है, को एक नोटिस जारी करेगी जिसके द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर देने के लिए उससे अपेक्षा करेगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अधिकारी के उत्तर पर विचार-विमर्श के पश्चात इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार की राय यह हो कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार देने के लिए अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए तो अधिभार को बकाये के रूप में या राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित अन्य रीति से वसूला जायेगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

51-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या

निकाय का सदस्य उप अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना

52-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

53-कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है, जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

54-यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश-

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

55-इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय या इसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा सम्यक रूप से और सदभाव पूर्वक किये गये या पारित सभी अधिनियम और आदेश अंतिम होंगे और राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विवाद जिला कानपुर नगर की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर होंगे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख साक्ष्य की रीति

56-(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति अथवा बोर्ड आदि की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प आदि या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर के किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या

संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक, से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपबंधों के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

प्राधिकारी और कर्मचारी के उत्तरदायित्व

57- विश्वविद्यालय के सामान्य रूप से पदधारियों के हित में परिनियमों के अनुसार प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, यहाँ उल्लिखित हो अथवा न हो, अपने मूल कार्य, उत्तरदायित्वों, कार्यों और अपने वरिष्ठों द्वारा दिये गये अन्य अतिरिक्त कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंधों के अनुसार पूर्णरूप से सक्षम प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

58-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशिष्टतः इस अधिनियम के विद्यमान उपबंधों से संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन के रूप में हो, या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

परिनियमों और अध्यादेशों को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

59-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेशों को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेशों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जबकि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा बातिलीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा बातिलीकरणों तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उद्देश्य और कारण

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना सन् 1921 में की गयी थी। यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुशास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में शोध और विकास तथा उद्भवन पर सकेंद्रित होते हुए उसे एक अग्रणी आवासीय विश्वविद्यालय एवं उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने, उच्च शिक्षा के उदीयमान क्षेत्रों में अध्ययन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से कौशल विकास को अग्रसर करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए इस संस्थान को हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर पूर्वोक्त संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में प्रोन्नत करने के लिए व्यवस्था की जाय जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्धन विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सुसंगत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने हेतु बेहतर कार्यक्षेत्र तथा अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

33 RPH Sandiya 2016 Data 1E